



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64603-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत आपराधिक अपील संख्या - 185/2026

बृजेश कुमार

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता: अजय त्रिपाठी, सूर्य प्रकाश पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय,

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I,

अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के अंतर्गत वर्तमान अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - चतुर्थ, गौतम बुद्ध नगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 568/2012 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेन्द्र कुमार एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.02.2026 के विरुद्ध दायर की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 324/2012, धारा 302/149, 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना फेस-II नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत पंजीकृत है। उपर्युक्त निर्णय के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों / विपक्षीगण को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 4.7.2012 को लोकेश (इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित) का शव एक नहर के किनारे पाया गया था। मृतक 2.7.2012 से लापता था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित मामला यह है कि मृतक 2.7.2012 को सुबह 10:30 बजे अपनी ट्रैवल एजेंसी गया था और कुलदीप एवं प्रवीण कुमार, जो मृतक के चचेरे भाई हैं, ने प्रथम सूचनाकर्ता के साथ मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखा था। अभियोजन पक्ष का मामला है कि अभियुक्तों ने मृतक की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके पास 1,20,000/- रुपये थे जो उसे ट्रैवल एजेंसी जाने से पहले उसकी पत्नी ने दिए थे।

प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा दिनांक 8.7.2012 को मुकदमा अपराध संख्या 324/2012, धारा 302/149, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज कराई गई थी। पंचायतनामा रिपोर्ट में पंचों की राय थी कि मृतक को शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया और गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई तथा शव को नहर में फेंक दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटों का उल्लेख किया गया: -

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"1. सिर के दाहिने हिस्से पर 6 सेमी x 4 सेमी का एक नीला निशान मौजूद था, जो दाहिने कान के पीछे 3 सेमी की दूरी पर स्थित था। खोपड़ी खोलने पर पैराइटल अस्थि का रेखीय फ्रैक्चर (अन्य चोटों के बीच) देखा गया; हड्डी दबकर मस्तिष्क के ऊतकों में धंस गई थी। मस्तिष्क स्वयं द्रवित अवस्था में था।

2. बाएं टेम्पोरल पर 8 सेमी x 6 सेमी का एक नीला निशान मौजूद था, जो सीधे बाएं कान के ऊपर स्थित था। खोपड़ी खोलने पर उसके नीचे की बाएं टेम्पोरल और बाएं पैराइटल हड्डियों के फ्रैक्चर देखे गए।

3. नीला निशान (14 सेमी x 12 सेमी): ऊपरी छाती और पूरे गर्दन क्षेत्र के चीरे पर, त्वचा के नीचे रक्त का संचय देखा गया। ग्रीवा रीढ़ खंडित थी, श्वासनली के ऊपरी छल्ले टूटे हुए थे, और श्वासनली स्वयं जमे हुए रक्त से भरी हुई थी।

4. नीला निशान (4 सेमी x 3 सेमी): बाएं हाथ के पीछे और पार्श्व हिस्से पर स्थित था, मस्तिष्कावरण द्रवित हो गए थे; मस्तिष्क के ऊतक नरम और धूसर रंग के दिखाई दे रहे थे। श्वासनली संकुलित थी। दोनों फेफड़े पीले दिखाई दे रहे थे; पेरिकार्डियम और हृदय स्वयं पीले रंग के थे और रक्त विहीन थे। जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी। आमाशय में 10 मिली अर्ध-तरल, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन था। यकृत पीलियाग्रस्त था और पित्ताशय आधा भरा हुआ था। अग्न्याशय, तिल्ली और गुर्दे पीले दिखाई दे रहे थे, और मूत्राशय आधा भरा हुआ था।"

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख है कि मृत्यु का कारण पूर्व-मरण चोटों के परिणामस्वरूप शॉक, रक्तस्राव और श्वासावरोध था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी नोट किया गया है कि मृत्यु पोस्टमार्टम से 2 से 3 दिन पहले हुई थी।

विवेचना के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - चतुर्थ, गौतम बुद्ध नगर के समक्ष सत्र विचारण संख्या 568/2012 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष के मामले का आधार यह था कि कुलदीप और प्रवीण कुमार, जो मृतक के चचेरे भाई थे और जिनका अभियोजन द्वारा पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 के रूप में परीक्षण किया गया था, उन्होंने मृतक को अभियुक्तों के साथ 2.7.2012 को अंतिम बार देखा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का समय उस समय से मेल खाता है जिस समय गवाहों ने मृतक को अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखा था। अभियुक्तों के विरुद्ध अपने मामले के समर्थन में अभियोजन द्वारा अन्य साक्ष्य मृतक के वाहन और उसके कपड़ों की बरामदगी तथा उस पत्थर की बरामदगी भी थी जिसका उपयोग कथित तौर पर अभियुक्तों ने अपराध करते समय किया था। बरामदगी कथित तौर पर अभियुक्तों के प्रकटीकरण पर की गई थी। अभियोजन का मामला है कि अभियुक्तों ने मृतक को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी और मृतक के शव को नहर में फेंक दिया। कथित अपराध का मकसद 1,20,000/- रुपये की लूट है जो मृतक के पास थे।

विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में, प्रथम सूचनाकर्ता ने कहा है कि कुलदीप ने मृतक को अभियुक्तों के साथ 2.7.2012 को सुबह 10:30 बजे अंतिम बार देखा था। हालांकि, अपनी गवाही में, कुलदीप (पीडब्ल्यू-2) और प्रवीण (पीडब्ल्यू-3) ने कहा है कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने तक प्रथम सूचनाकर्ता (पीडब्ल्यू-1) को उक्त तथ्य का खुलासा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



नहीं किया था। विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 ने कहा है कि उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद प्रथम सूचनाकर्ता को उक्त तथ्य का खुलासा किया। प्रथम सूचनाकर्ता, जिसका पीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षण किया गया, ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मृत्यु होने के तरीके या अपराध किए जाने के संबंध में रिश्तेदारों के साथ उचित विचार-विमर्श और चर्चा के बाद दर्ज की गई थी। स्पष्ट रूप से, पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2 और पीडब्ल्यू-3 की गवाही के बीच बड़े विरोधाभास हैं और पीडब्ल्यू-1 की गवाही स्वयं अभियोजन मामले पर संदेह पैदा करती है। यह भी नोट किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट शव मिलने के चार दिन बाद दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्परता से दर्ज नहीं की गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब के संबंध में पीडब्ल्यू-1 की ओर से कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अभियुक्तों को फंसाने के लिए अभियोजन द्वारा आरोपित मकसद मृतक के पास मौजूद 1,20,000/- रुपये की लूट थी। यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपराध किए जाने के समय मृतक के पास 1,20,000/- रुपये थे। अभियोजन साक्षी की गवाही में यह आता है कि उक्त राशि मृतक को उसकी पत्नी ने दी थी। हालांकि, मृतक की पत्नी का गवाह के रूप में परीक्षण नहीं किया गया था, यद्यपि पीडब्ल्यू-1 ने कहा है कि उक्त राशि मृतक को उसकी पत्नी ने उसकी उपस्थिति में दी थी। हालांकि, उक्त तथ्य को सिद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

जहाँ तक कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्रियों की बरामदगी के साक्ष्य का संबंध है, वह भी संदेह से परे नहीं है। मृतक के वाहन से और नरेन्द्र कुमार (विपक्षी संख्या 1) की निशानदेही पर बरामद मृतक के कपड़ों पर कोई मानव रक्त नहीं मिला। कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजे गए थे। वह पत्थर, जो कथित तौर पर अभियुक्त के प्रकटीकरण पर बरामद किया गया था, उसे भी यह सुनिश्चित करने के लिए फॉरेंसिक जांच हेतु नहीं भेजा गया था कि क्या उस पर मानव रक्त था। विवेचक (पीडब्ल्यू-6) की गवाही में पत्थर का जो भौतिक विवरण दिया गया है, वह भी इस बात पर विश्वास नहीं जगाता कि पत्थर पर मानव रक्त था। इसके अलावा, बरामदगी सार्वजनिक स्थान से की गई है। उपरोक्त तथ्य पुनः अभियुक्तों को फंसाने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर संदेह पैदा करते हैं।

संबंधित डॉक्टर, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिद्ध की थी, ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में स्वीकार किया कि मृतक के शरीर पर चोटें तब भी लग सकती थीं यदि कोई व्यक्ति तैरने या नहाने के इरादे से 5 से 10 फीट की ऊंचाई से नहर में कूद जाए। उस स्थिति में, बिना किसी अन्य साक्ष्य के मृतक के शरीर की चोटों पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि मृत्यु 'होमिसाइडल' थी या अभियुक्तों को दोषी ठहराया जाए।

साक्ष्य में यह भी है कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में पक्षों के बीच कुछ कड़वाहट थी, जिसे लेकर मृतक के पूर्वज मुकदमेबाजी में थे, हालांकि मुकदमेबाजी घटना से लगभग 15 से 16 साल पहले समाप्त हो गई थी। हालांकि, अभियोजन द्वारा अभियुक्तों में अपराध करने के मकसद को सिद्ध करने के लिए उक्त तथ्य को रिकॉर्ड पर लाया गया है। उक्त मकसद अभियुक्तों को गलत तरीके से फंसाने का कारण भी हो सकता है। केवल संदेह अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

उपरोक्त से पता चलता है कि अभियोजन द्वारा अंतिम बार देखे जाने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है। अभियोजन संदेह से परे यह सिद्ध नहीं कर सका कि मृत्यु 'होमिसाइडल' थी। अभियोजन अभियुक्तों के अपराध करने के मकसद को सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है। इस बात की संभावना है कि प्रथम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सूचना रिपोर्ट केवल संदेह के आधार पर उचित विचार-विमर्श और चर्चा के बाद दर्ज की गई थी। अभियुक्तों के प्रकटीकरण पर पुलिस द्वारा की गई कथित बरामदगी संदिग्ध है और विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन द्वारा स्थापित मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध एक भी परिस्थिति को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कर पाया है।

विचारण न्यायालय ने अभियोजन मामले में उपरोक्त कमियों पर विचार करने के बाद माना कि अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा है और उसने अभियोजन मामले को खारिज कर दिया है तथा अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।

हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई विषमता या कोई अन्य अवैधता नहीं मिली है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है और साक्ष्य पर आधारित है। वर्तमान अपील में विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में तथ्य या कानून का कोई आधार नहीं बनता है।

उपरोक्त सभी कारणों से, हम मामले के रिकॉर्ड को तलब करने के बाद अपीलार्थी के आग्रह पर साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करना उचित नहीं समझते हैं।

अपील को सरसरी तौर पर खारिज किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को रिकॉर्ड में भेज दिया जाए।

(देवेन्द्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (सलिल कुमार राय, न्यायमूर्ति)

28 मार्च, 2026

सत्यम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"